

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2022—आश्विन 4, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्र. पीएचएफडब्ल्यू-0158-2022-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिए)
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा तथा पात्रता

अनुक्रमिक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएँ	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खाद्य विश्लेषक,	21	40	(एक) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि या डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक उपाधि अथवा पशु विज्ञान में उपाधि रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा संबलित खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो और खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, और (दो) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बॉर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित घोषित किया गया हो।	किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका किसी खाद्य वस्तु के विनिर्माण या विक्रय में कोई विरतीय हित हो।

				<p>ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित घोषित किया गया है वह व्यक्ति भी खाद्य विश्लेषक के रूप में पद को धारित करने का पात्र होगा।</p>	
2.	उप-संचालक, (खाद्य एवं औषधि)	21	40	<p>औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबंधों के अधीन शासकीय विश्लेषक/औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता होनी चाहिए और उस औषधि निरीक्षक/औषधि विश्लेषक का 7 वर्षों का अथवा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियम 1945 के अधीन अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>या</p> <p>खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के उपबंधों के अधीन खाद्य विश्लेषक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होनी चाहिए, और उसे खाद्य विश्लेषक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में 7 वर्षों का अथवा FSSAI (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में खाद्य परीक्षण का 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>स्पष्टीकरण</p> <p>1. शासकीय विश्लेषक के पास निम्नानुसार अर्हता होनी चाहिए:- (क) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्नातक डिग्री (भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता) और औषधि परीक्षण का कम से कम पांच</p>	<p>ऐसे व्यक्ति को उपसंचालक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि/कॉस्मेटिक/खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो।</p>

		<p>वर्षों का स्नातकोत्तर अनुभव ऐसी प्रयोगशाला का हो, जिसका नियंत्रण (एक) अधिनियम, के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक, या (दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला या संस्थान का प्रमुख</p> <p>या</p> <p>(ख) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्नातकोत्तर डिग्री (भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता) या इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट (इण्डिया) से एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के विषय के साथ एसोसिएटशिप डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उपरोक्त स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के बाद कम से कम तीन वर्ष का औषधि परीक्षण का अनुभव ऐसी प्रयोगशाला का हो, जिसका नियंत्रण (एक) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत नियुक्त शासकीय विश्लेषक या (दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला या संस्थान का प्रमुख</p> <p>या</p> <p>2. औषधि निरीक्षक के पास निम्नानुसार अर्हता होनी चाहिए:- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से औषधि-निर्माण विज्ञान या औषधि विज्ञान या नैदानिक भेषजगुण विज्ञान में विशेषज्ञता सहित आयुर्विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में डिग्री.</p> <p>या</p> <p>3. खाद्य विश्लेषक के पास निम्नानुसार अर्हता होनी चाहिए:- (एक) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन</p>
--	--	---

			<p>विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि या डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक उपाधि अथवा पशु विज्ञान में उपाधि रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो और खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, और</p> <p>(दो) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित घोषित किया गया हो। 'ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के' होते हुए भी किसी व्यक्ति को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित घोषित किया गया है' वह व्यक्ति भी खाद्य विश्लेषक के रूप में पद को धारित करने का पात्र होगा :</p> <p>या</p> <p>4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निम्नानुसार अर्हता होगी चाहिए:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या मेडिसिन में उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यताप्राप्त अर्हता।</p>
--	--	--	---

3	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक	21	40	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मसी या फार्मास्यूटीकल कैमिस्ट्री या फार्माकोलोजी क्लिनिकल में विशेषज्ञता संहित मेडिसिन या सूक्ष्म जीव विज्ञान में उपाधि और औषधि निरीक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अधीन अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।</p>	<p>ऐसे व्यक्ति को जिसका औषधि/कॉस्मेटिक विनिर्माण आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा</p>
4	औषधि विश्लेषक	21	40	<p>(क) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटीकल कैमिस्ट्री में स्नातक [भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता] और औषधि परीक्षण में कम से कम पांच वर्षों का स्नातकोत्तर अनुभव, ऐसी प्रयोगशाला का हो, जिसका नियंत्रण,—</p> <p>(एक) अधिनियम (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940) के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या</p> <p>(दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या प्रयोगशाला का प्रमुख</p> <p>या</p> <p>(ख) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटीकल कैमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि [भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता] या इंस्टीट्यूशन ऑफ कैमिस्ट (इण्डिया) से एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटीकल के एक विषय के साथ एसोसिएटशिप डिप्लोम: की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उपरोक्त स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोम: प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम</p>	<p>ऐसे व्यक्ति को औषधि विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि/कॉस्मेटिक विनिर्माण आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो।</p>

				तीन वर्ष का औषधि परीक्षण का अनुभव ऐसी प्रयोगशाला से हो, जिसका नियंत्रण (एक) अधिनियम (औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940) के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या (दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या परीक्षण प्रयोगशाला का प्रमुख
5.	माइक्रोबॉयोलोजिस्ट (औषधि)	21	40	द्वितीय श्रेणी के साथ माइक्रोबॉयोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अधीन अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6.	माइक्रोबॉयोलोजिस्ट (खाद्य)	21	40	द्वितीय श्रेणी के साथ माइक्रोबॉयोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एफ एस एस ए आई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) से अधिसूचित प्रयोगशाला में खाद्य परीक्षण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7.	फार्माकोलोजिस्ट	21	40	फार्मसी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम. फार्मा) और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अधीन अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
8.	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट	21	40	शासकीय विश्लेषक की निम्नानुसार अर्हता होनी चाहिए - (क) आधुनिक ज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्नातक (भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता) और औषधि परीक्षण में कम से कम पांच वर्षों का स्नातकोत्तर अनुभव होना चाहिए ऐसी प्रयोगशाला से, जिसका नियंत्रण (एक) अधिनियम के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या (दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या प्रयोगशाला का प्रमुख

				<p>या</p> <p>(ख) आयुर्विज्ञान या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल कॉमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि [भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता] या इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट (भारत) से एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के एक विषय के साथ एसोसिएटशिप डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उपरोक्त स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष का औषधि परीक्षण में अनुभव, ऐसी प्रयोगशाला का हो, जिसका नियंत्रण (एक) अधिनियम के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक या (दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थान या प्रयोगशाला परीक्षण का प्रमुख; और</p> <p>शासकीय विश्लेषक के रूप में चार वर्षों का अनुभव अथवा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अधीन अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का चार वर्षों का अनुभव होना चाहिए।</p>
9.	वरिष्ठ रसायनज्ञ (केमिस्ट)	21	40	<p>(एक) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर की उपाधि या डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु विज्ञान में उपाधि रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों</p>

				<p>के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो और खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, और</p> <p>(दो) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित घोषित किया गया हो।</p> <p>ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी किसी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित घोषित किया गया है वह व्यक्ति भी खाद्य विश्लेषक के रूप में पद को धारित करने का पात्र होगा।</p>
--	--	--	--	---

टीप:- सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए आयु-सीमा तथा छूट निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए अनुसार होगी। साथ ही साथ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा.-

सामान्य प्रशासन विभाग का संदर्भ तथा पदों के प्रकार	अभ्यर्थियों की श्रेणी/ संवर्ग	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अन्य पदों को भरे जाने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु-सीमा
सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र सी-3-8/2016/3-एफ दिनांक 04-07-2019 सिविल पदों के लिए	खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के पदों के लिए	21 से 40 वर्ष
	अनु.जा/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/आयोग/स्वशासी/नगरसैनिक/निशक्त/महिला(आरक्षित/अनारक्षित) कर्मचारियों के लिए	21 से 45 वर्ष

टीप क्रं. 2 - भर्ती नियम की अनुसूची 2 के सरल क्रं. 16 एवं 21 के संवर्गों में 25 प्रतिशत पदों पर पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवकों को पूर्व भर्ती नियम अनुसार पदोन्नति की पात्रता होगी।

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिए)
सेवा में सम्मिलित पदों पर पदोन्नति

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अर्पित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (नियम-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा/वरिष्ठ अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा	उप आयुक्त, खाद्य सुरक्षा	5 वर्ष	1.अध्यक्ष/सदस्य म.प्र.से.आ-अध्यक्ष 2.सचिव, लो.र.वा.प.क.दि.-सदस्य 3.आयुक्त, खाद्य सुरक्षा न.प्र./नियंत्रक औषधि प्रशासन -सदस्य
2.	उप औषधि नियंत्रक	संयुक्त नियंत्रक (औषधि)	5 वर्ष	---
3.	औषधि विश्लेषक (प्रथम-श्रेणी)	संयुक्त नियंत्रक (औषधि परीक्षण प्रयोगशाला)	5 वर्ष	---
4.	औषधि विश्लेषक, (द्वितीय-श्रेणी)	औषधि विश्लेषक (प्रथम श्रेणी)	5 वर्ष	---
5.	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक	उप औषधि नियंत्रक	5 वर्ष	---
6.	1 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक 2 अभिहित अधिकारी	उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	5 वर्ष	---
7.	खाद्य विश्लेषक (पूर्व में लोक विश्लेषक)/ वरिष्ठ रसायनज्ञ/ सहायक खाद्य विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी (पूर्व में सहायक लोक विश्लेषक द्वितीय वर्ग) / माइक्रोबायोलोजिस्ट, खाद्य	खाद्य विश्लेषक प्रथम-श्रेणी	5 वर्ष	---
8.	वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी /अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा	सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा/ वरिष्ठ अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा	5 वर्ष	---
9.	वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी (पूर्व में खाद्य निरीक्षक उच्चतर वेतनमान)	अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा	5 वर्ष	---
10.	सहायक विश्लेषक औषधि, तृतीय-श्रेणी	औषधि विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	---
11.	औषधि निरीक्षक, तृतीय-श्रेणी	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	---
12.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (पूर्व में खाद्य निरीक्षक ग्रेड-दो)	वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी	5 वर्ष	---
13.	सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट, खाद्य, तृतीय-श्रेणी	माइक्रोबायोलोजिस्ट, खाद्य, द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	---
14.	रसायनज्ञ ग्रेड-एक, तृतीय-श्रेणी	खाद्य विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी/ वरिष्ठ रसायनज्ञ/सहायक खाद्य विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	---
15.	सहायक लोक विश्लेषक/ रसायनज्ञ ग्रेड-दो/सहायक रसायनज्ञ, तृतीय-श्रेणी	खाद्य विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी/ वरिष्ठ रसायनज्ञ/सहायक खाद्य विश्लेषक, द्वितीय-श्रेणी	8 वर्ष	---

No. PHFW-0158-2022-XVII-M-1.—

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Food and Drug Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely,-

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE-III

(See rule-8)

Age-limit and eligibility for direct recruitment

S.No.	Name of service	Minimum age limit	Maximum age limit	Required educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Food Analyst	21	40	(i) Holds a Master's degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and (ii) Has been declared qualified for	No person, who has any financial interest in the manufacture, or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Analyst.

				<p>appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority-</p> <p>Notwithstanding anything contained above, any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall also be eligible for holding the post of Food Analyst.</p>	
2.	Deputy Director (Food and Drugs)	21	40	<p>Should possess the qualification prescribed for appointment as Govt. Analyst /Drugs Inspector under the provision of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and he must possess 7 years experience of Drugs inspector/Drug Analyst or 7 years experience of testing of Drug in a Approved laboratory under Drugs and cosmetic Act, 1940 and Rules, 1945 .</p> <p>OR</p> <p>Should Posses the qualification for appointment as Food Analyst/Food safety officer under the provision the Food Safety and Standards Rule, 2011 and he must possess 7 years experience as Food Analyst/ Food safety officer or 7 years experience of testing of Food in a Notified laboratory from FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India).</p> <p>Clarification-</p> <p>1. Should be possess qualification of Govt. Analysis as below :-</p> <p>(a) should be graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaccetical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognised and notified by the Central</p>	No person who has any financial interest in the import manufacture or sale of drugs or cosmetics or Food articles shall be appointed to be an Deputy Director.

				<p>Government for such purpose] and has had not less than five years' post-graduate experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) possesses a post-graduate degree in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purpose] or possesses the Associate ship Diploma of the Institution of Chemists (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaccuticals' as one of the subjects and has had after obtaining the said post-graduate degree or diploma not less than three Years' experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>2. Should be possess qualification of Drugs Inspector as below : - Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology, from a university established in India by law.</p> <p style="text-align: center;">OR</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>3. Should be possess qualification of Food Analyst as below : -</p> <p>(i) Holds a Master's degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and</p> <p>(ii) Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority.</p> <p>Notwithstanding anything contained above, any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall also be eligible for holding the post of Food Analyst.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>4. Should be possess qualification of Food Safety Officer as below : -</p> <p>Degree in Food Technology or Dairy or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Science or Biochemistry or Microbiology or Master degree in Chemistry or degree in Medicine from a recognized University or Any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government.</p>	
--	--	--	--	--	--

3.	Senior Drugs Inspector	21	40	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology, from a university established in India by law. and he must possess 5 years experience as Drugs Inspector or 5 years experience of testing of Drugs in a Approved laboratory under Drugs and cosmetic Act, 1940 and Rules, 1945.	No person who has any financial interest [in the import manufacture or sale of drugs or cosmetics] shall be appointed to be Senior Drugs Inspector.
4.	Drug Analyst	21	40	<p>(a) Graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by law or has an equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purpose] and has had not less than five years' post-graduate experience in the testing of drugs in a laboratory under control of (i) a Government Analyst appointed under the Act (Drugs and cosmetic Act, 1940) or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) possesses a post-graduate degree in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by law or has an equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purpose] or possesses the Associateship Diploma of the Institution of Chemists (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects and has had after obtaining the said post-graduate degree or diploma not less than three Years' experience</p>	No person who has any financial interest [in the import manufacture or sale of drugs or cosmetics] shall be appointed to be Drugs Analyst.

				in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act (Drugs and cosmetic Act, 1940) or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority.
5.	Micro Biologist (Drugs)	21	40	Master Degree in Microbiology with Second-Division and he must posses two year experience of testing of Drug in a Approved laboratory under Drugs and cosmetic Act, 1940 and Rules, 1945 .
6.	Micro Biologist (Food)	21	40	Master Degree in Microbiology with Second-Division and he must possess two year experience of testing of Food in a notified laboratory from FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India)
7.	Pharmacologist	21	40	Master Degree in Pharmacy (M. Pharma) and he must posses two year experience of testing of Drug in a Approved laboratory under Drugs and cosmetic Act, 1940 and Rules, 1945 .
8.	Pharmaceutical Chemist	21	40	Should possess the qualification of Govt. Analyst as - (a) should be graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purpose] and has had not less than five years' post-graduate experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority.

OR

				<p>(b) possesses a post-graduate degree in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purpose] or possesses the Associate ship Diploma of the Institution of Chemists (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects and has had after obtaining the said post-graduate degree or diploma not less than three Years' experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority.</p> <p style="text-align: center;">And</p> <p>He must possess 4 years experience as Govt. Analyst or 4 years experience of testing of Drugs in a Approved laboratory under Drugs and cosmetic Act, 1940 and Rules, 1945.</p>	
9.	Senior Chemist	21	40	<p>(i) Holds a Master's degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification</p>	

			<p>recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and</p> <p>(ii) Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority</p> <p>Notwithstanding anything contained above, any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall also be eligible for holding the post of Food Analyst.</p>
--	--	--	---

N.B.1.— According to the instructions of General Administration Department, the age-limit and relaxation to fill the posts by direct recruitment shall be as shown in following table. Simultaneously it is necessary to have living registration in the employment exchange of the State.-

Reference of GAD and kind of posts	Class/Cadre of candidates	Minimum and maximum age limit to fill the other posts through M.P. Public Service Commission
GAD's circular C-3-8/2016/3-I dated 04-07-2019	For the posts of direct recruitment by open competition	21 to 40 years
For civil posts	SC/ST/OBC/employees of Government/ Corporation/Commission/ Autonomous/ Home Guard/ Disabled Women (Reserved/unreserved)	21 to 45 years

N.B. 2. – Serial Number of Schedule 2 of this Recruitment Rules. In the cadres of 16 and 21, the government servants already working on 25 percent posts shall be eligible for promotion as per the previous recruitment rules.

Schedule-IV

(Sec rule-14)

Promotion on the posts included in service

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Requisite experience	Member of Departmental Promotion Committee (rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Commissioner, Food Safety/ Senior Designated Officer, Food Safety	Deputy Commissioner, Food Safety	5 Years	1. Chairman/ Member of MPPSC-Chairman 2. Secretary, Public Health and Family Welfare- Member. 3. Commissioner, Food Safety, M.P./ Controller Drug Administration- Member
2.	Deputy Drug Controller	Joint Controller (Drug)	5 Years	"
3.	Drug Analyst- (Class-I)	Joint Controller (Drug testing Laboratory)	5 Years	"
4.	Drug Analyst- (Class-II)	Drug Analyst- (Class-I)	5 Years	"
5.	Senior Drug Inspector	Deputy Drug Controller	5 Years	"
6.	1. Senior Drug Inspector 2. Designated Officer	Deputy Director, Food and Drugs Administration	5 Years	"
7.	Food Analyst (Previews Public Analyst)/ Senior Chemist/Assistant Food Analyst (Previews Assistant Public Analyst)- Class-II /Microbiologist Food	Food Analyst Class-I	5 Years	"
8.	Senior Food Inspector, Class-II/ Designated Officer, Food Safety	Assistant Commissioner, Food Safety/ Senior Designated Officer, Food Safety	5 Years	"

9.	Senior Food Safety Officer (Previews Food Inspector Higher Scale)	Designated Officer, Food Safety	5 Years	"
10.	Assistant Analyst Drug, Class-III	Drug Analyst, Class-II	5 Years	"
11.	Drug Inspector, Class-III	Senior Drug Inspector Class-II	5 Years	"
12.	Food Safety Officer, (Previews Food Inspector Grade-II)	Senior Food Safety Officer	5 Years	"
13.	Assistant Microbiologist, Food Class-III	Microbiologist, Food Class-II	5 Years	"
14.	Chemist Grade-I, Class-III	Food Analyst-Class-II/ Senior Chemist/ Assistant Food Analyst Class-II	5 Years	"
15.	Assistant Public Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist, Class-III	Food Analyst-Class-II/ Senior Chemist/ Assistant Food Analyst, Class-II	8 Years	" "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, उपसचिव.